

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 मई 2021 — वैशाख 16, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/2012/29-2.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35) की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर में प्रकरणों की अधिकता को देखते हुए, वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अस्थायी रूप से, एतद्वारा, उपलब्ध बजट की सीमा के अंतर्गत व्यय करने की शर्त पर, जिला रायपुर में अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग स्थापित करता है।

No. F-5-3/2012/29-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of The Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019), the State Government, in view of the excess number of cases in the District Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur, as temporarily arrangement, hereby establishes Additional District Consumer Disputes Redressal Commission in District Raipur, subject to condition that expenditure remains within the budget allocation.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.